

- ✓ संस्था को ए०आई०सी०टी०ई०पी०सी०आई० से आगामी रात हेतु अनुमोदन प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश शासन द्वारा बनाये गये विधिनियमों/अधिनियमों/संश्लेषणों/निर्देशों एवं निर्देशक, प्राविधिक शिक्षा, उ०प्र०, संपुक्त प्रदेश परीक्षा परिषद, उ०प्र० तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० द्वारा बनाये गये नियमों, विनियमों, आदेशों, निर्देशों का पालन करने के लिये बाध्य होगी।
- ✓ डिप्लोमा इन फार्मेसी पाठ्यक्रम की संस्था यदि पी.सी.आई. नई दिल्ली से अनुमोदन प्राप्त करने में असफल रहती है तो इस संबंध में समस्त उत्तरदायित्व संस्था का होगा और विधिक रूप से किसी भी कार्यवाही के लिए संस्था स्वयं उत्तरदायी होगी। प्राविधिक शिक्षा परिषद, संपुक्त प्रदेश परीक्षा परिषद, प्राविधिक शिक्षा निदेशालय एवं प्राविधिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन की कोई राय दायर किया जाता है तथा दायर राय के संबंध में न. न्यायालय द्वारा किसी प्रकार की प्रतिपूर्ति संबंधी आदेश निर्गत किया जाता है तो समस्त प्रतिपूर्ति संबंधित संस्था को करनी होगी।
- ✓ डिप्लोमा इन फार्मेसी पाठ्यक्रम संचालित करने वाली संस्थाओं को संपुक्त प्रदेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश संश्लेषण द्वारा प्रत्येक वर्ष के लिए आर्पेजित प्रवेश परीक्षा हेतु काउन्सिलिंग प्रारंभ होने के पूर्व पी०सी०आई० से अनुमोदन प्राप्त कर परिषद कार्यालय को उपलब्ध कराना होगा अन्यथा उन्हें प्रवेश की (काउन्सिलिंग के माध्यम से अथवा संस्था स्तर पर सीधे प्रवेश) अनुमति नहीं प्रदान की जायेगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रवेश हेतु निर्गत नवीनतम आरक्षण नियमों का अनुपालन करना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था को अपने वेबसाइट पर संस्था की समस्त सूचनाएं जैसे संस्था की ऐतिहासिक पुष्टि भूमि, स्टाफ, साज-सज्जा, उपकरण, प्राप्त किया जाने वाला शुल्क, छात्रावास शुल्क आदि का विवरण उपलब्ध कराना होगा।
- ✓ संस्था को शिक्षण-प्रशिक्षण हेतु उपर्युक्त बताये गये उपलब्ध करने के साथ रैजिं रोकने के सम्बन्ध में समस्त आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
- ✓ संस्था यह सुनिश्चित हो ले कि संस्था में प्रस्तावित संचालित पाठ्यक्रम को चलाये जाने हेतु निरीक्षण समिति के समस्त उपलब्ध कराये गये अभिलेख, भूमि-भवन, फर्नीचर, उपकरण इत्यादि का यदि संस्था द्वारा किसी अन्य पाठ्यक्रम के संचालन में प्रयोग किया जाता है और परिषद को इसकी जानकारी होती है कि संस्था उपरोक्त का प्रयोग किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो तत्काल संस्था की सम्बद्धता समाप्त किये जाने की अनुरोध की जायेगी।
- ✓ संस्था के राष्ट्रीय निरीक्षण दौरान यदि संस्था में भूमि, भवन, प्रयोगशाला, उपकरण एवं अन्य साज-सज्जा ए०आई०सी०टी०ई०पी०सी०आई०/परिषद के मानकनुसार उपलब्ध नहीं पाया जाता है तो संस्था की सम्बद्धता समाप्त कर दी जायेगी।
- ✓ सम्बद्धता शर्तों का अनुपालन न किये जाने अथवा शर्तों का उल्लंघन किये जाने की स्थिति में निपमानुसार अनुरोधनात्मक कार्यवाही की जायेगी।

(सुनील कुमार सोनकर)

सचिव

दिनांक: 05/08/2021

पु०सं०- प्राविधिकपरिषद सम्बद्धता/2021/3538-4869

प्रतिष्ठिपि-

ग्राम-चर्च/निदेशक BANU RANJEET SINGH EDUCATIONAL INSTITUTE VILLAGE- KHERAUNA, TEHSIL AND DISTRICT- AMETHI, UTTAR PRADESH

Principal

Banu Ranjeet Singh Educational Institute

(सुनील कुमार सोनकर)

सचिव

**कार्यालय,
अपिपि, प्राथमिक शिक्षा परिषद,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।**

संख्या - अपिपि/परिषद सम्बद्धता/2020/8170

लखनऊ दिनांक 14-8-2020

--कार्यालय ड्राफ्ट--

सद्विल नगरपालिका लखनऊ शिक्षा परिषद, नई दिल्ली/फार्मसी कार्यालय जीक इम्पियर, नई दिल्ली द्वारा वार्षिक सत्र 2020-21 हेतु विद्यार्थी सहायता वित्तिय सहायता की अनुमोदन प्रदान किए जाने के उपरोक्त प्राथमिक शिक्षा परिषद, लखनऊ से सम्बद्धता/सम्बद्धता प्रदान किए जाने हेतु दिनांक 14-8-2020 को उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा परिषद, लखनऊ की अध्यक्षता में परिषद कार्यालय में बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में समिति द्वारा सत्र 2020-21 हेतु आवेदित नई सहायता की सम्बद्धता/पूर्व से संचालित सहायता को सम्बद्धता विस्तार/पाठ्यक्रम/अन्य शर्तों के अन्तर्गत अन्य शर्तों पर विचार करने हेतु सत्र 2020-21 हेतु सम्बद्धता प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

उक्त की अनुमोदन में सम्बद्धता समिति की बैठक के मध्य में विद्यार्थी इन फार्मसी पाठ्यक्रम संचालित करने वाली नई संस्था का उद्घाटन रखा गया। सम्बद्धता समिति द्वारा गहन विचार-विमर्श कर निम्नानुसार निर्णय लिया गया :-

"सत्र 2020-21 हेतु स्थापित होने वाली डिप्लोमा इन फार्मसी संस्थाएं दिनांक पी0सी0आई0 द्वारा सत्र 2020-21 हेतु अनुमोदन प्रदान किया गया है, जो सत्र 2020-21 हेतु परिषद से सम्बद्धता प्रदान किये जाने पर समिति द्वारा विचार-विमर्श किया गया एवं सत्र 2020-21 हेतु निर्गत पी0सी0आई0 अनुमोदन पत्र के आधार पर सर्वसम्मति से सत्र 2020-21 हेतु परिषद से सम्बद्धता प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया। समिति द्वारा यह भी निर्णय लिया गया कि प्रस्तावित संस्थाओं का स्थलीय निरीक्षण कराया जाये एवं निरीक्षण के दौरान यदि संस्था में भूमि, भवन, प्रयोगशाला, उपकरण एवं अन्य साम-सामग्री पी0सी0आई0/परिषद के मानकानुसार उपलब्ध नहीं पाया जाता है तो संस्था की सम्बद्धता बिना किसी सूचना के समाप्त कर दी जाएगी।"

अतः निम्नानुसार संबंधित संस्था को परिषद की सम्बद्धता समिति द्वारा किये गये निर्णय के आधार पर प्राथमिक शिक्षा परिषद, लखनऊ द्वारा सत्र 2020-21 हेतु निम्नलिखित शर्तों के अन्तर्गत आवश्यक एवं उचित प्रवेश अर्थात् हेतु सम्बद्धता प्रदान की जाती है :-

क्र. सं.	संस्था का नाम	व्यवस्थापक का नाम	पी0सी0आई0 द्वारा सत्र 2020-21 में अनुमोदित प्रवेश अर्थात्	परिषद द्वारा सत्र 2020-21 में अनुमोदित प्रवेश अर्थात्
1	एनू रजिस्टर्ड एडुकेटर्स इन्स्टीट्यूट-उत्तर प्रदेश लखनऊ-इमेरॉ	विमलेश इन फार्मसी	80	80

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ संस्था रजिस्टर्ड एडुकेटर्स इन्स्टीट्यूट/पी0सी0आई0 द्वारा निर्धारित की गयी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा परिषद एडुकेटर्स इन्स्टीट्यूट तथा प्राथमिक शिक्षा परिषद विनियमवारी 1982 सेमेस्टर विनियमवारी-2018 तथा अन्य निर्मित विधियों एवं आदेशों का अनुपालन करेगी तथा मुख्य निरीक्षण समिति द्वारा निर्धारित मुख्य तीन वर्षीय इमेरॉ पाठ्यक्रमों हेतु एडुकेटर्स इन्स्टीट्यूट 30,000.00/- प्रतिवर्ष, दो वर्षीय फार्मसी व्यवस्था हेतु एडुकेटर्स इन्स्टीट्यूट 45,000.00/- प्रतिवर्ष एवं एक तथा दो वर्षीय पाठ्यक्रमों (दो वर्षीय फार्मसी व्यवस्था के अतिरिक्त) हेतु एडुकेटर्स इन्स्टीट्यूट 20,000.00 प्रतिवर्ष मुख्य ही प्रवेश अर्थात्/अन्य से प्राप्त किया जाएगा। संस्था के अतिरिक्त छात्र/छात्राओं से मुख्य की संस्था में समय-समय पर भ्रमण द्वारा निर्गत किये जाने वाले शसत-व्यय प्रमाणी होगी, और उपरोक्त सर्वशर्तों

विश्व शांति अवस्थाक शीमा। पीन निर्वाचन समिति द्वारा यदि एक 2020-21 हेतु शांति का पुनर्निर्माण किया जाता है तो शांति का निर्माण हो जायेगा।

- ✓ संस्था की विद्या प्रविधिक शिक्षा, अधिदेशों तथा प्रविधिक, संस्थाओं को सम्बद्ध किया जाये, विविधता-2020 को धार्मिक अनुसंधान करना होगा।
- ✓ संस्था में संयुक्त प्रवेश जैसा पहिले हाल अवस्था जहाँ की ही प्रवेश दिया जायेगा। शीमा के विश्व यह जाने की स्थिति में संसार प्रवेश शांति के निर्माणानुसार ही प्रवेश की जरूरतों की जायेगी।
- ✓ संस्था को सामान्यतः एक निर्वात शांतिदेश के अनुसार निर्देशन एवं सम्बद्धता सुलभ बना करना होगा।
- ✓ संस्था में शांतिदेश/निर्देश/निर्देशों के अन्तर्गत एक हेतु अनुसंधान प्रस्था किया जाने आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था अन्तर् प्रवेश शांति प्राप्त करने गये विधि/विधान/अधिदेशों/शांतिदेशों/निर्देशों एवं निर्वाचन, प्रविधिक शिक्षा, अधिदेश, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, संस्था तथा प्रविधिक शिक्षा परिषद, 2020 द्वारा बनाये गये नियमों, विनियमों, अधिदेशों, निर्देशों का पालन करने के लिये कार्य होगी।
- ✓ विश्वोत्तम इन सर्वोत्तम पाठ्यक्रम को संस्थाएं यदि पी.सी.आई. एवं विस्वी से अनुसंधान प्राप्त करने में अवसर नहीं है तो इन संबंध में संस्था पर्याप्तविधि संस्था का होगा और विधिक रूप से किसी भी कार्यवाही के लिए संस्था स्वयं उत्तरदायी होगी। प्रविधिक शिक्षा परिषद, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, प्रविधिक शिक्षा निर्देशालय एवं प्रविधिक शिक्षा विभाग उच्च प्रवेश शांति को लेंगे बाद उत्तर दिया जाता है तथा दाखल बाद के संस्था में ना व्यवहार्य हुआ किन्ती प्रकार की प्रतिपूर्ति संबंधी अधिदेश निर्गत किया जाता है तो संस्था प्रतिपूर्ति संबंधित संस्था को करनी होगी।
- ✓ शिक्षागत इन कार्यवाही पर्याप्त संस्था करने वाली संस्थाओं को संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उच्च प्रवेश परीक्षा परीक्षा परिषद, प्रविधिक शिक्षा परिषद, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, प्रविधिक शिक्षा निर्देशालय एवं प्रविधिक शिक्षा विभाग उच्च प्रवेश शांति को लेंगे बाद उत्तर दिया जाता है तथा दाखल बाद के संस्था में ना व्यवहार्य हुआ किन्ती प्रकार की प्रतिपूर्ति संबंधी अधिदेश निर्गत किया जाता है तो संस्था प्रतिपूर्ति संबंधित संस्था को करनी होगी।
- ✓ उच्च प्रवेश शांति द्वारा प्रवेश हेतु निर्वात शांतिगत अवस्था निर्वातों का अनुसंधान करना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था को अपने वेबसाइट पर संस्था की संयुक्त सूचनाएं जैसे संस्था की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, स्थापना, नाम-संस्था, व्यवहार, प्रथा तथा अन्य संस्था सुलभ, शांतिगत सुलभ आदि का विवरण उपलब्ध करना होगा।
- ✓ संस्था को शिक्षण-प्रशिक्षण हेतु उपर्युक्त वतावरण उपलब्ध करने के साथ शांति शांति के सम्बन्ध में समस्त आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
- ✓ संस्था वह सुनिश्चित हो ले कि संस्था में प्रसाधित/संयुक्त पाठ्यक्रम को चलाने जाने हेतु निर्देशन समिति के समस्त उपलब्ध करने गये अधिदेश, मुक्ति-पत्र, व्यवहार्य हस्तादि का यदि संस्था द्वारा किसी अन्य पाठ्यक्रम के संयुक्त में प्रवेश किया जाता है और परिषद को हस्तादि जानकारी होती है कि संस्था उपलब्ध का प्रयोग किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो संस्था संस्था की सम्बद्धता संस्था किये जाने की अनुसंधान की जायेगी।
- ✓ सम्बद्धता शांति का अनुसंधान न किये जाने अथवा शांति का उत्सव न किये जाने की स्थिति में निर्वातानुसार अनुसंधान सम्बद्धता कार्यवाही की जायेगी।

(संजीव कुमार सिंह)
सचिव

पूरा सं- प्राविधिक/परिषद सम्बद्धता/2020/5171-0670
प्रतिनिधि-प्रधानाध्यक्ष/निदेशक, वायू रजिस्ट्रार सिंह एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, विलेज-खरीना, लखनऊ एण्ड
जनपद-अम्बेडी।

(संजीव कुमार सिंह)
सचिव

कार्यालय,

सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद,

उत्तर प्रदेश लखनऊ।

संख्या:- प्राविपपरिषद सम्बद्धता/2021/3537

लखनऊ दिनांक: 09/08/2021

:-आर्पितपत्र:-

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली। फार्मसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा वैश्विक सत्र 2021-22 हेतु डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी शिक्षण संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने के उपरांत प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ से सम्बद्धता सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक- 08/08/2021 को परिषद कार्यालय में सम्बद्धता समिति की बैठक संपन्न हुई। बैठक में समिति द्वारा सत्र 2021-22 हेतु आवेदित नई संस्थाओं को सम्बद्धता पूर्व से संचालित संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार। पाठ्यक्रम प्रवेश क्षमता वृद्धि सहित अन्य मर्तों पर विचार किये हुए सत्र 2021-22 हेतु सम्बद्धता/ सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

सम्बद्धता समिति की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप में निम्न संस्था को प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ० प्र० लखनऊ द्वारा सत्र 2021-22 हेतु निर्धारित शर्तों के अधीन पाठ्यक्रम एवं उसमें अंकित प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है -

संस्था का कोड एवं नाम : 2140-BABU RANJEET SINGH EDUCATIONAL INSTITUTE VILLAGE-KHERAUNA, TEHSIL AND DISTRICT- AMETHI, UTTAR PRADESH

क्र.सं०	पाठ्यक्रम का नाम	ए०आई०सी०टी०ई०पी०सी०आई० द्वारा सत्र 2021-22 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता	परिषद द्वारा सत्र 2021-22 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	DIPLOMA IN PHARMACY	60	60

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ संस्था ए०आई०सी०टी०ई०पी०सी०आई० द्वारा निर्धारित की गयी सभी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद एक्ट 1962 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद विनियमवली 1992, सेमेस्टर विनियमवली-2016 तथा अन्य निर्मित नियमों एवं आदेशों का अनुपालन करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क तीन वर्षीय द्वैवीय पाठ्यक्रमों हेतु ₹0 30150.00/- प्रतिवर्ष, दो वर्षीय फार्मसी पाठ्यक्रम हेतु ₹0-45000.00/- प्रतिवर्ष एवं एक तथा दो वर्षीय पाठ्यक्रमों (दो वर्षीय फार्मसी पाठ्यक्रम के अतिरिक्त) हेतु ₹0-22500.00/- प्रतिवर्ष शुल्क ही प्रत्येक छात्र/छात्रा से प्राप्त किया जायेगा। उपरोक्त के अतिरिक्त छात्र/छात्राओं से शुल्क के सम्बन्ध में समय-समय पर आसन द्वारा निर्गत किये जाने वाले शासनादेश प्राप्ति होंगे, और तदनुसार कार्यवाही किया जाना आवश्यक होगा। फीस निर्धारण समिति द्वारा यदि सत्र 2021-22 हेतु फीस का पुनर्निर्धारण किया जाता है, तो फीस को नवीनतम दर लागू होगी।
- ✓ संस्था को उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा समितियां तथा उप समितियां, संस्थाओं को सम्बद्ध किया जाना। विनियमवली-2000 की शर्तों का अनुपालन करना होगा।
- ✓ संस्था में संपुन्न प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आयोजित छात्रों को ही प्रवेश दिया जायेगा। सीटों के रिक्त रह जाने की स्थिति में उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशानुसार ही प्रवेश की कार्यवाही की जायेगी।
- ✓ संस्था को समय-समय पर निर्गत शासनादेश के अनुसार नियंत्रण एवं सम्बद्धता शुल्क भुगतान करना होगा।

Babu Ranjeet Singh Educational Institute
Kherauna, District Amethi, Uttar Pradesh